भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2409

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

भागलपुर में कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं

2409. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बिहार में, विशेषकर भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कारपोरेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) भागलपुर में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं और प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्थानीय उद्यमियों के लिए कंपनी पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का भागलपुर में औद्योगिक क्लस्टर या निवेश क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

.

(क): बिहार में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक बिहार में जिला-वार और विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में है। मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सीएसआर आंकड़े नहीं रखता है।

(ग): इस मंत्रालय ने कंपनी पंजीकरण को सरल बनाने और कंपनियों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जो बिहार सहित पूरे देश में लागू हैं। इन उपायों का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(घ): इस मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2409 के भाग (क) और (क) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक बिहार में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अररिया	7.13	1.16	9.06
2	अरवल	-	-	0.46
3	औरंगाबाद	12.04	10.63	17.12
4	बांका	7.50	0.15	15.51
5	बेगूसराय	18.41	20.09	21.93
6	भागलपुर	9.05	12.86	11.23
7	भोजपुर	12.81	19.31	12.67
8	बक्सर	1.23	0.34	2.08
9	दरभंगा	12.06	10.69	11.09
10	गया	5.86	13.99	20.63
11	गोपालगंज	1.11	1.25	2.11
12	जमुई	9.47	4.49	8.68
13	जहानाबाद	1.40	8.49	1.71
14	कैमूर (भभुआ)	0.02	0.10	2.19
15	कटिहार	0.09	0.54	1.57
16	खगड़िया	3.53	0.50	4.31
17	किशनगंज	38.36	0.70	4.58
18	लखीसराय	0.24	0.06	4.65
19	मधेपुरा	0.09	1.59	2.70
20	मधुबनी	0.68	3.40	11.53
21	मुंगेर	3.84	4.03	4.60
22	मुजफ्फरपुर	10.09	52.00	74.27
23	नालंदा	3.58	4.56	7.40
24	नवादा	1.67	2.24	2.95
25	पश्चिम चम्पारण	1.36	4.75	5.75
26	पटना	27.59	39.27	95.56
27	पूर्वी चम्पारण	2.38	2.85	7.32
28	पूर्णिया	12.10	2.02	2.94
29	रोहतास	0.63	0.58	4.84
30	सहरसा	0.26	0.32	3.29
31	समस्तीपुर	6.89	7.33	8.48
32	सरण	11.31	3.57	22.07
33	शेखपुरा	2.31	1.94	2.41
34	शिवहर	0.00	0.15	0.55
35	सीतामढ़ी	3.51	2.74	7.79
36	सीवान	0.76	0.46	0.80
37	सुपौल	4.25	2.59	3.81
38	वैशाली	1.69	3.48	35.17
39	जिले जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है	12.64	16.41	0.29
	कुल	247.93	261.62	456.12

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-II

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2409 के भाग (क) और (क) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक बिहार में क्षेत्रवार विकास

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	कृषि वानिकी	0.84	-	1.28
2	पशु कल्याण	0.71	0.14	0.46
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	0.01	0.03	-
4	कला और संस्कृति	1.90	0.90	1.35
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	0.42	0.54	4.10
6	शिक्षा	41.68	56.90	114.22
7	पर्यावरणीय स्थिरता	6.30	20.55	16.72
8	लैंगिक समानता	0.20	2.17	9.26
9	स्वास्थ्य देखभाल	54.18	92.68	116.68
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	13.97	24.84	45.14
11	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	3.65	13.44	61.34
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	30.42	38.08	41.19
13	सुरक्षित पेयजल	8.48	2.79	5.74
14	स्वच्छता	67.84	1.71	11.63
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.04	0.22	0.26
16	महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास स्थापित करना	0.10	0.06	0.15
17	अनाथालय की स्थापना	0.04	0.01	0.10
18	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	0.52	0.64	0.15
19	विशेष शिक्षा	0.61	1.52	0.67
20	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	-	0.11	-
21	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	3.74	1.16	2.27
22	व्यावसायिक कौशल	11.92	0.86	17.98
23	महिला सशक्तिकरण	0.36	1.46	5.43
24	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	0.80	-
	कुल	247.93	261.62	456.12

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों, जहां परियोजनाएं शुरू की गईं, का संकेत दिया।

अनुलग्नक-III

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2409 के भाग (ग) से सन्दर्भित

कंपनी पंजीकरण को सरल बनाने और अनुपालन को सुगम बनाने के उपाय

I. एजाइल प्रो-एस के साथ स्पाइस+ नामक एक एकल एकीकृत नया वेब फॉर्म लागू किया गया है। यह फॉर्म 'व्यवसाय शुरू करने' से संबंधित ग्यारह सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल है: (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन), (iv) कर कटौती खाता संख्या (टैन), (v) निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकरण, (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण, (viii) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संख्या, (ix) बैंक खाता संख्या, (x) व्यवसाय कर पंजीकरण (मुंबई, कोलकाता और कर्नाटक), (xi) दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण। कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के नाम आरक्षण और निगमन के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) स्थापित किया गया है।

II. अब 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली या 20 सदस्यों की उन सभी कंपनियों के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जहां कोई शेयर पूंजी लागू नहीं होती है।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत क्षेत्राधिकार आरओसी के साथ पहले दाखिल किए गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ई-प्ररूप के तेजी से और केंद्रीकृत संचालन के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को 16.02.2024 से संचालित किया गया था।

IV. कंपनी अधिनियम, 2013 में तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए 2019 और 2020 में संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप और उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना भी था।

V. तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन किए गए हैं। छोटे व्यवसायों को औपचारिक रूप देने को प्रोत्साहित करने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और कम शुल्क प्रदान करने के लिए "स्मॉल एलएलपी" की एक नई श्रेणी स्थापित की गई थी।

VI. फरवरी 2021 में फास्ट-ट्रैक विलय के दायरे का विस्तार किया गया था ताकि स्टार्ट-अप्स को अन्य स्टार्ट-अप्स और लघु कंपनियों के साथ विलय हो सके। सितंबर 2025 में इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है ताकि कंपनियों के अधिक वर्गों को इस मार्ग को चुनने की अनुमति मिल सके।

VII. मंत्रालय ने सा.का.नि. 880 (अ) दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के माध्यम से कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देशन) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे लघु कंपनियों के लिए सीमा बढ़ गई है। चुकता पूंजी मानदंड को "4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है और कारोबार मानदंड को "40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है।
